



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुररिट याचिका सिविल सं 1637/2025

1 - एबीसी पिता डेफ, 40 वर्ष निवासी एक्स वाई जेड (छ.ग)

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग)

2 - छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग)

---उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)याचिकाकर्ताओं हेतु : श्री हरिकेश शर्मा, अधिवक्ता श्री विकास कुमार पांडे, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए
राज्य हेतु : श्री सतीश गुप्ता, शासकिय अधिवक्ताएकल पीठ : माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीशपीठ पर आदेश02.04.2025

1. इस रिट याचिका में यह निर्धारित करने का प्रश्न है कि अवांछित बच्चे को जन्म दिया जाए या नहीं।
2. याचिकाकर्ता एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है, जो अपनी बहन के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष एक अवांछित बच्चे के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की मांग कर रही है, जिसके साथ यौन घटना में उसका बलात्कार किया गया था। भावी माता सम्मानपूर्ण जीवन चाहती है और उक्त उद्देश्य के लिए, वह एक उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर रही है, ताकि उसे अनचाहे बच्चे



को गर्भपात करने की अनुमति दी जा सके और वह ऐसी घटना के किसी भी आघात के बिना एक सम्मानजनक जीवन जी सके।

3. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता की बहन के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता की बहन आईडीडी + मिर्गी नामक मानसिक विकार से पीड़ित है और इसका फायदा उठाते हुए, उसी गांव के निवासी महेंद्र धीवर ने याचिकाकर्ता की बहन को बहकाया और उससे विवाह करने का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। जब यह तथ्य याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के संज्ञान में आया, तो वे महेंद्र धीवर के पास गए, उससे पीड़िता से विवाह करने के लिए कहा, परंतु उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और यह पता चलने पर, याचिकाकर्ता की मांता ने महेंद्र धीवर के विरुद्ध पुलिस थाना रतनपुर, बिलासपुर में अपराध क्रमांक 36/2025 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 64 (2) (के) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई है।

4. प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के बाद, पीड़िता ने चिकित्सा परीक्षा कराई, जिसमें यह पाया गया कि वह गर्भवती थी और आगे की अन्वेषण में पाया गया कि वह लगभग 21 सप्ताह के गर्भ में थी। याचिकाकर्ता अर्थात् पीड़िता की बहन ने गर्भपात की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है। चिकित्सको ने पहली बार में इस तथ्य पर विचार करते हुए अपनी अनिच्छा दिखाई कि प्रकरण पहले से ही बलात्कार के तहत एक आपराधिक प्रकरण में विचाराधीन है। इसके अलावा भ्रूण की उम्र भी विधिक तौर पर चिकित्सकों को गर्भपात करने की अनुमति नहीं देती है। यही कारण है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए विवश होना पड़ा है।

5. दिनांक 27.03.2025 को इस न्यायालय ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सी. आई. एम. एस.), बिलासपुर अर्थात् उत्तरवादी संख्या 2 को पीड़िता का परीक्षा करने तथा पीड़िता के स्वास्थ्य, भ्रूण की स्थिति और यह भी कि क्या स्थिति ऐसी है कि पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

6. इसके बाद पीड़िता की परीक्षा 6 चिकित्सको के दल द्वारा की गई तथा इस संबंध में दिनांक 29.03.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पीड़िता की शारीरिक परीक्षण के दौरान चिकित्सको के दल ने पाया कि पीड़िता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। चिकित्सकीय परीक्षण से ज्ञात होता है कि पीड़िता 22 सप्ताह की गर्भवती थी, जबकि यूएसजी परीक्षण में पाया गया कि पीड़िता 22 सप्ताह और 1 दिन की गर्भवती थी। यद्यपि, पीड़िता और भ्रूण दोनों के प्रकरण में कोई गंभीर असामान्यता नहीं पाई गई। रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आकलन से ज्ञात होता है कि मरीज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है, हालांकि, प्रक्रिया से जुड़े जोखिमों और जटिलताओं को ध्यान में रखना होगा, जैसा कि सभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी (एमटीपी) मामलों में होता है। चिकित्सक के दल ने माता-पिता को भी परामर्श दिया और वे अपने रुख पर अड़े रहे कि वे गर्भावस्था को समाप्त करवाने में रुचि रखते हैं।



7. जहां तक गर्भावस्था को समाप्त करने की कार्यवाही का सवाल है, चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1979 में विधि निर्धारित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 विशेष रूप से उन शर्तों से संबंधित है जो आवश्यक हैं और जिनका पालन किया जाना है। त्वरित संदर्भ के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

“3. जब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है।—

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी गर्भावस्था का समापन करता है, तो वह उस संहिता या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था का समापन किया जा सकेगा—

(क) जहां गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सा व्यवसायी, या

(ख) जहां गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक है, किन्तु बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सद्भावपूर्वक यह राय है कि,—

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है; या

(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से ग्रस्त होगा जिससे वह गंभीर रूप से विकलांग हो जाएगा।

स्पष्टीकरण 1.— जहां गर्भवती महिला द्वारा यह अभिकथन किया जाता है कि बलात्कार के कारण गर्भ उत्पन्न हुआ है, वहां ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2— जहां कोई गर्भावस्था किसी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई किसी युक्ति या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है, वहां ऐसी अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति माना जा सकता है। (3) यह निर्धारित करने में कि क्या गर्भावस्था के जारी रहने से स्वास्थ्य को चोट लगने का ऐसा जोखिम होगा जैसा कि उपधारा (2) में उल्लिखित है, गर्भवती महिला के वास्तविक या उचित पूर्वानुमानित वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है।



(4) (क) ऐसी महिला का गर्भ, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, या जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है और [मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति] है, उसके अभिभावक की लिखित सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जाएगा।

(ख) खंड (क) में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, गर्भवती महिला की सहमति के बिना कोई गर्भ समाप्त नहीं किया जाएगा।"

8. उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था का समापन बिल्कुल भी अस्वीकार्य नहीं था। धारा 3 के तहत परिकल्पित परिस्थितियों में यह स्वीकार्य था। निस्संदेह, इस मामले में पीड़िता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। गर्भावस्था के जारी रहने से बाद में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जहां तक पीड़िता की शारीरिक स्थिति के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्थिति का भी संबंध है। 2009 (9) एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए "सुचिता श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम चंडीगढ़ प्रशासन" के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका संख्या 36 और 37 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"36. अन्य सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में न्यायालयों ने मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की ओर से प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के उद्देश्य से "पैरेंस पैट्रिया" क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दो अलग-अलग मानक विकसित किए हैं। ये दो मानक "सर्वोत्तम हित" परीक्षण और "प्रतिस्थापित निर्णय" परीक्षण हैं।

37. जैसा कि इसके शाब्दिक वर्णन से स्पष्ट है, "सर्वोत्तम हित" परीक्षण के लिए न्यायालय को कार्रवाई के उस तरीके का पता लगाना आवश्यक है जो संबंधित व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करेगा। वर्तमान स्थिति में इसका अर्थ है कि न्यायालय को गर्भावस्था की व्यवहार्यता के साथ-साथ पीड़ित द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक परिस्थितियों पर चिकित्सा राय की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय का निर्णय केवल पीड़ित के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए, न कि अन्य हितधारकों जैसे अभिभावकों या सामान्य रूप से समाज के हितों को ध्यान में रखकर। यह स्पष्ट है कि संबंधित महिला को देखभाल और सहायता की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कुछ लागतें भी उठानी पड़ेंगी। हालांकि, यह प्रजनन अधिकारों के प्रयोग से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।"

9. उपर्युक्त मामले अर्थात् सुचिता श्रीवास्तव (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि एक महिला का प्रजनन विकल्प रखने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है। उसे अपनी शारीरिक अखंडता का एक पवित्र अधिकार है।

10. इसी तरह, 2016 (14) एससीसी 382 में रिपोर्ट किए गए "एक्स बनाम भारत संघ और अन्य" के प्रकरण में कंडिका संख्या 13 में इसे निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"13. मेडिकल रिपोर्ट (जिसके सुसंगत अंश ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं) का अवलोकन करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि मेडिकल बोर्ड द्वारा एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है, कि याचिकाकर्ता के लिए गर्भावस्था जारी



रखने का जोखिम उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। मेडिकल बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि मरीज को गर्भावस्था जारी नहीं रखनी चाहिए। रिपोर्ट के कंडिका 6 में दर्ज निष्कर्षों और मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिश और सलाह के तहत, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 की धारा 5 के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना स्वीकार्य है। उपर्युक्त के तहत, हम याचिकाकर्ता को, यदि उसे ऐसी सलाह दी जाती है, तो गर्भावस्था को समाप्त करने की स्वतंत्रता देते हैं।"

11. "एक्स बनाम भारत संघ और अन्य" के मामले में उपर्युक्त निर्णय में गर्भावस्था की समाप्ति का अनुरोध उस मामले में किया गया था जहां गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक की थी।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उन मामलों में गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति दी है, जहां गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय 2017 (3) एससीसी 458 (एक्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य), 2017 (3) एससीसी 462 (मीरा संतोष पाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य), एआईआर 2017 एससी 3931 (तपस्या उमेश पिसल बनाम भारत संघ और अन्य) और एआईआर 2017 एससी 4037 (श्रीमती ए बनाम भारत संघ और अन्य) में रिपोर्ट किए गए हैं। इन सभी मामलों में भ्रूण की उम्र 20 सप्ताह से अधिक थी और पीड़िता की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

13. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और "ए बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" 2018 (14) एससीसी 75 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख देते हुए, उस अवस्था में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई, जहां पीड़िता लगभग 26 सप्ताह तक गर्भ में थी।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "शर्मिष्ठा चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ" 2018 (13) एससीसी 339 के मामले में मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया तथा अभিনিर्धारित किया कि जब तक गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक माँ और होने वाले बच्चे का जीवन बहुत खतरे में होगा और इसलिए, गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

15. एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में, एआईआर 2022 एससी 4917 में रिपोर्ट किया गया; माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ में कहा था कि एक महिला अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद अपनी पसंद से गर्भवती हो सकती है। यदि गर्भावस्था वारंट की जाती है, तो इसे दोनों भागीदारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। हालांकि, अवांछित या आकस्मिक गर्भावस्था के मामले में, भार सदैव गर्भवती महिला पर पड़ता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संविधान का अनुच्छेद 21 किसी महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा होने पर गर्भपात कराने के अधिकार को मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है।



महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल महिला को ही अपने शरीर पर अधिकार है और गर्भपात कराना है या नहीं, इस सवाल पर अंतिम निर्णय लेने वाली वही है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्स वाई जेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में, मानु/एस सी ओ आर/113703/2023 में रिपोर्ट की गई, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

“9. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया है कि अपीलकर्ता 25 सप्ताह और 6 दिन +/- 2 सप्ताह से गर्भवती थी और 10.08.2023 की अल्ट्रा-सोनोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण का वजन लगभग 914 ग्राम था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि भ्रूण में कोई जन्मजात असामान्यता नहीं है, लेकिन गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति केवल तभी की जा सकती है जब न्यायालय अपीलकर्ता की सहमति लेने और मातृ स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम को समझाने के बाद अनुमति दे। हालाँकि, रिपोर्ट के निम्नलिखित कंडिका पर उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है:

5. वर्तमान में पीड़िता उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है।

6. गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति से भविष्य में पीड़िता की संतान पैदा करने की क्षमता और सामान्य स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

10. हम पाते हैं कि रिपोर्ट के उपरोक्त हिस्से पर ध्यान दिए बिना ही, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि “17.08.2023 तक भ्रूण की आयु लगभग 27 सप्ताह है और याचिकाकर्ता-पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयानों और आवेदन में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की याचिका खारिज की जाती है”, जो हमारे विचार में स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने शीघ्र अनुतोष की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18. गर्भपात के संदर्भ में, गरिमा के अधिकार में गर्भावस्था को समाप्त करने के निर्णय सहित प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रत्येक महिला की क्षमता और अधिकार को मान्यता देना शामिल है। हालाँकि मानवीय गरिमा प्रत्येक व्यक्ति में निहित है, लेकिन राज्य द्वारा लगाए गए बाहरी परिस्थितियों और उपचार से इसका उल्लंघन होने की संभावना है। राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का प्रत्येक महिला का अधिकार मानवीय गरिमा के विचार का केंद्र है। प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य तक पहुँच से वंचित होना भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाता है।

19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का पूरा उद्देश्य उच्च न्यायालय के असाधारण विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का उपयोग अपनी संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में करना है। ऐसी शक्ति



संवैधानिक न्यायालयों में निहित है और विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा अप्रासंगिक विचारों को छोड़ते हुए प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए, न कि इसके विपरीत।

20. उपरोक्त चर्चा के तहत और नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट के अवलोकन के बाद हम अपीलकर्ता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हैं। हम अपीलकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह केएमसीआरआई अस्पताल, भरुच, गुजरात के समक्ष आज (21.08.2023) दिन के दौरान या कल (22.08.2023) सुबह 09:00 बजे जैसा वह उचित समझे, उपस्थित रहे ताकि गर्भावस्था की समाप्ति अधिमानतः आज (21.08.2023) दिन के दौरान या कल अर्थात् 22.08.2023 को की जा सके।"

17. अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने (स्वतः संज्ञान) बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. एम.पी. 1533 के संदर्भ में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"3. इसके बाद, रिट याचिका संख्या 3491/2025 में जबलपुर में मुख्य पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.01.2025 के आदेश के अनुसार, इंदौर में एकल पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 39431/2024 में पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 12.12.2024 के निर्देशों के अनुपालन में खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले से निपटते हुए पैरा संख्या 5 के साथ कंडिका संख्या 6 में यह अभिनिर्धारित किया है कि महिलाएं, जो यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार की उत्तरजीवी हैं, 24 सप्ताह तक अपनी गर्भावस्था को समाप्त करवा सकती हैं और गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है और एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। जबलपुर में विद्वान एकल पीठ ने आगे माना कि अनुमति केवल उन मामलों में आवश्यक है जहां गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक पुरानी है क्योंकि ऐसी गर्भावस्था को समाप्त करना चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 के तहत स्वीकार्य नहीं है गर्भावस्था की समाप्ति के आदेश पारित करना। निर्णय के सुसंगत कंडिका इस प्रकार हैं:-

"2. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (जिसे आगे एमटीपी अधिनियम 1971 कहा जाएगा) के प्रावधानों का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि धारा 3 उक्त धारा में उल्लिखित स्थितियों में गर्भ को समाप्त करने के लिए सक्षम प्रावधान है। धारा 3 गर्भ को समाप्त करने वाले डॉक्टर को किसी भी अभियोजन से बचाती है। एमटीपी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2)(ए) के तहत पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भ को समाप्त किया जा सकता है, जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं होती है। एमटीपी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2)(बी) के अनुसार, गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक न हो तो दो पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों (आरएमपी) द्वारा गर्भपात कराया जा सकता है। धारा 3(2)(ए) और 3(2)(बी) के तहत गर्भपात केवल तभी होगा, जब धारा 3(2)(i) या धारा 3(2)(ii) के तहत राय बनाई गई हो, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं:---



"(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है; या

(ii) इस बात का पर्याप्त खतरा है कि यदि बच्चा पैदा होता है, तो उसे कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता हो सकती है।"

3. एमटीपी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2) के आगे स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि गर्भवती महिला द्वारा बलात्कार के कारण होने वाली किसी भी गर्भावस्था में, गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति माना जाएगा।

4. एमटीपी अधिनियम 1971 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, यदि मामला एमटीपी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2)(ए) या धारा 5(1) या धारा 3(2)(बी) के अंतर्गत आता है, तो न्यायालय के आदेश के बिना भी आरएमपी द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।

5. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी रूल्स के नियम 3 बी में महिलाओं की श्रेणियों का भी उल्लेख किया गया है, जो 24 सप्ताह तक की अवधि में अपना गर्भ समाप्त करवा सकती हैं, यानी यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार की शिकार महिलाएं इसके दायरे में आती हैं।

6. उपरोक्त सभी मामलों में, गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी मामलों में गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। न्यायालय से अनुमति केवल उन मामलों में आवश्यक है, जहां गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक पुरानी हो। गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी एक्ट, 1971 के तहत समाप्त करने की अनुमति नहीं है। उक्त मामलों में, उच्च न्यायालय को गर्भावस्था की समाप्ति के आदेश पारित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होगा।"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. तदनुसार, विवाद के संबंध में इंदौर और जबलपुर की विद्वान एकल पीठ के बीच विद्यमान विसंगति को दूर करने के लिए, इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखे गए हैं:---

(क) चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भपात के प्रयोजन के लिए अनुमेय प्रक्रिया क्या है?; तथा

(ख) क्या प्रत्येक मामले में गर्भपात के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही का सहारा लेना आवश्यक है?



8. गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 के पूर्वोक्त नियम 3 बी(ए) में यह प्रावधान है कि यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार की पीड़िताओं को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (बी) के अंतर्गत गर्भावस्था की समाप्ति के लिए पात्र माना जाता है, जो 20 सप्ताह से अधिक लेकिन 24 सप्ताह से अधिक नहीं होती है।

9. इसी प्रकार, गर्भावस्था की अवधि जहां बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, वहां पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है और जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक है, लेकिन चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, ऐसी श्रेणी की महिला के मामले में, जैसा कि गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 के पूर्वोक्त नियम 3 बी(ए) में निर्धारित है, दो पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा, जब उनकी/उनकी सलाहपूर्वक यह राय बनी हो कि—

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है; या

(ii) इस बात का पर्याप्त खतरा है कि यदि बच्चा पैदा होता है, तो उसे कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता हो सकती है।"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार की पीड़िताओं के मामले में, जहाँ गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है, उच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है और ऐसी गर्भावस्था को समाप्त करना चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 के तहत स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय गर्भावस्था को समाप्त करने के आदेश पारित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है; ”

18. भारतीय समाज में, विवाह संस्था के अंतर्गत, गर्भावस्था आम तौर पर न केवल जोड़े के लिए बल्कि उनके परिवारों और दोस्तों के लिए भी खुशी और उत्सव तथा बड़ी उम्मीद का कारण होती है। इसके विपरीत, विवाह के बाहर गर्भावस्था, ज्यादातर मामलों में, हानिकारक होती है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न/दुर्व्यवहार के बाद और यह गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करने वाले तनाव और आघात का कारण बनती है। किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार अपने आप में पीड़ादायक है और यौन दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप गर्भधारण होना इस चोट को और भी बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी गर्भावस्था स्वैच्छिक या जानबूझकर की गई गर्भावस्था नहीं होती है। एक तथ्य जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, वह था पीड़िता की मानसिक स्थिति। यदि पीड़िता को गर्भावस्था और प्रसव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की



अनुमति दी जाती है, तो इससे न केवल पीड़िता पर, बल्कि भ्रूण पर भी बहुत बड़ा शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। इस तथ्य के साथ कि पीड़िता की चिकित्सा जांच में भी पाया गया है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो फिर से कई बार काफी गंभीर होता है और आगे की जटिलताओं को जन्म दे सकता है।

19. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बलात्कार की पीड़िता को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसे गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए या उसे गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उपरोक्त सभी कारणों से, यह न्यायालय मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में तत्काल वर्तमान रिट याचिका को भी स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।

20. चूंकि पीड़िता पहले से ही उत्तरवादी संख्या 2- संस्थान में भर्ती है, इसलिए चिकित्सक के दल जिसने उसकी जांच की थी और जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि पीड़िता का गर्भपात बिना किसी विलंब के जल्द से जल्द किया जाए। भ्रूण का डीएनए नमूना भी लिया जाएगा और आगे के साक्ष्य के लिए उसी तरह संरक्षित किया जाएगा जैसा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण नियम, 2020 के नियम 6(6) के तहत प्रदान किया गया है क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामला अभी भी लंबित है। इस अभ्यास को बिना किसी विलंब के किया जाना चाहिए।

21. यह भी निर्देश दिया जाता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धारा 5 ए के वैधानिक प्रावधानों के तहत पीड़िता की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखा जाए।

22. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है और इसका निराकरण किया जाता है।

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

